भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2598

जिसका उत्तर सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

किसानों को ऋण सुविधा

†2598. श्री ए. राजा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में आज की तारीख तक राज्यवार किसानों पर कुल बकाया ऋण और ऋणी कृषक परिवारों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने किसानों के ऋणग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और किसानों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किसानों को अपर्याप्त वित्तपोषण को देखते हुए देश के किसानों के लिए कोई संस्थागत ऋण सुविधा का प्रस्ताव है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 दिसम्बर, 2025 की स्थिति के अनुसार देश में कृषि के लिए मूल स्तर पर ऋण प्रवाह के अंतर्गत बकाया ऋणों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस) 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार, 55% कृषि परिवारों ने ऋण सुविधा का लाभ उठाया है।

(ख) से (ङ): एनएएफआईएस 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार, कृषि परिवारों ने अपनी कृषि संबंधी गतिविधियों को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण का लाभ उठाया है।

सरकार ने ग्रामीण परिवारों के बीच संस्थागत ऋण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों के लिए मूल स्तर पर कृषि ऋण लक्ष्यों और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्यों का वार्षिक निर्धारण, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)/संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएस) आदि के माध्यम से वहनीय ऋण तक पहुंच शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सुनियोजित दीर्घकालिक उपाय भी लागू किए हैं। इन पहलों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), कृषोन्नति योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) आदि शामिल हैं।

*****

अनुबंध

"किसानों को ऋण सुविधा" के संबंध में लोक सभा के दिनांक 9.3.2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2598 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार कृषि के लिए मूल स्तर ऋण (जीएलसी) प्रवाह के अंतर्गत बकाया ऋणों का ब्यौरा (अनंतिम)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	फसल ऋण	सावधि ऋण	कुल ऋण
1	दिल्ली	3,019.97	26,452.04	29,472.01
2	हरियाणा	64,410.55	34,093.91	98,504.45
3	हिमाचल प्रदेश	11,454.33	3,293.90	14,748.23
4	जम्मू और कश्मीर	8,666.86	6,156.83	14,823.69
5	पंजाब	67,793.18	32,529.52	1,00,322.70
6	राजस्थान	1,35,341.57	56,951.67	1,92,293.24
7	चंडीगढ़ सं.रा.क्षे.	427.42	2,380.94	2,808.36
8	लद्दाख	315.62	177.70	493.32
9	अरुणाचल प्रदेश	382.65	135.11	517.76
10	असम	9,782.84	12,359.40	22,142.24
11	मणिपुर	445.31	846.41	1,291.72
12	मेघालय	1,019.57	272.30	1,291.87
13	मिजोरम	178.06	1,460.68	1,638.73
14	नागालैंड	535.40	326.87	862.28
15	सिक्किम	271.79	128.31	400.10
16	त्रिपुरा	925.37	3,836.80	4,762.17
17	अंडमान और निकोबार द्वीप	194.35	264.84	459.19
18	बिहार	44,001.09	46,318.19	90,319.29
19	झारखंड	10,374.04	10,252.21	20,626.25
20	ओडिशा	48,159.86	31,537.25	79,697.11
21	पश्चिम बंगाल	38,248.79	52,757.98	91,006.78
22	छत्तीसगढ़	19,990.63	14,052.65	34,043.27
23	मध्य प्रदेश	1,11,297.80	59,459.75	1,70,757.55
24	उत्तराखंड	8,300.68	8,126.20	16,426.88
25	उत्तर प्रदेश	1,65,447.64	64,649.05	2,30,096.69
26	गोवा	447.67	1,417.48	1,865.15
27	गुजरात	1,05,097.25	63,363.68	1,68,460.93
28	महाराष्ट्र	1,38,253.69	1,69,040.03	3,07,293.71
29	दमन और दीव हवेली सं.रा.क्षे.	76.75	201.09	277.85
31	आंध्र प्रदेश	2,01,744.41	1,73,510.18	3,75,254.59
32	तेलंगाना	95,167.98	80,792.58	1,75,960.56
33	कर्नाटक	88,800.84	1,21,443.63	2,10,244.47
34	केरल	86,774.19	74,249.32	1,61,023.52
35	पुडुचेरी	1,765.16	6,511.88	8,277.04
36	तमिलनाडु	1,65,075.79	3,41,214.66	5,06,290.45
37	लक्षद्वीप सं.रा.क्षे.	29.96	23.30	53.25
	कुल योग	**16,34,219.07**	**15,00,588.35**	**31,34,807.42**

आंकड़े अनंतिम है; *आंकड़े स्रोत: नाबार्ड के इएनएसयूआरइ पोर्टल पर बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े*

*****